संजय कुमार (बि0प्र0से0) जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न प्रधान लिपिकों की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार

बैठक में सर्वप्रथम जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा पूर्व बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्न प्रधान लिपिक बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित हैं जो उनकी लापरवाही एवं मनमानी को परिलक्षित करता है

1. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया
2. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, जिला सांख्यिकी कार्यालय, अररिया
3. प्रधान लिपिक, जिला विधि प्रशाखा, अररिया
4. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, जिला विकास प्रशाखा, अररिया
5. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, जिला अवर निबंधक कार्यालय, अररिया
6. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, उत्पाद अधीक्षक, अररिया
7. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, प्रखंड कार्यालय, सिकटी
8. नाजिर, प्रखंड कार्यालय, नरपतगंज
9. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, अंचल कार्यालय, कुर्साकांटा
10. नाजिर, अंचल कार्यालय, नरपतगंज
11. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नरपतगंज
12. प्रधान लिपिक एवं नाजिर, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा प्रधान लिपिकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया गया साथ ही निदेश दिया गया कि अगली बैठक में उपस्थिति शत-प्रतिशत होनी चाहिए। बैठक में सभी कार्यालय के कार्य कलापों की समीक्षा को दृष्टि पथ में रखते हुए जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि भविष्य में होने वाली बैठक में यदि किसी अपरिहार्य कारण से प्रधान लिपिक भाग नहीं लेते हैं तो उनके स्थान पर किसी अन्य जानकार लिपिक को कार्यालय प्रधान द्वारा सभी प्रतिवेदनों के साथ बैठक में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जो कर्मी उक्त बैठक में अनुपस्थित है उनका एक दिन का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने एवं अपने संबंधित कार्यालय प्रधान के माध्यम् से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे।

1. कर्मपुस्त :- सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालयों के सभी कर्मियों द्वारा कर्मपुस्त अनिवार्य रूप से संधारित किये जाए। जिन कर्मियों का कर्मपुस्त संधारित नहीं है वे अविलंब अपना कर्मपुस्त संधारित कर अद्यतन रखने का निदेश दिया गया। जिन कर्मियों का कर्मपुस्त में प्राप्त पत्रों को सही ढंग से इन्द्राज/संधारित नहीं पाये जाने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा साथ ही निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह प्राप्त पत्रों का इद्रांज के साथ पत्रों पर की गई कार्रवाई के पश्चात् लंबित पत्रों की

सूची अवश्य इंद्राज होना चाहिए ताकि ससमय लंबित पत्रों पर कार्रवाई की जा सके। अगली बैठक में निर्धारित प्रपत्र में कर्मीवार लंबित पत्रों की सूची के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

2. **आर0टी0पी0एस0** :- समीक्षा के क्रम में जिला स्थापना उप सामहर्त्ता, अररिया द्वारा बताया गया कि अक्सर आर0टी0पी0एस0 कार्यालयों में बहुत अधिक मात्रा में समय सीमा से बाहर आवेदन लंबित पाया जाता है। सबसे अधिक मामलें अररिया, जोकीहाट, पलासी एवं रानीगंज प्रखंड-सह-अंचल से संबंधित है। इस पर संबंधित प्रधान लिपिक को विशेष ध्यान देकर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। लंबित आवेदन रहने के कारण वर्तमान में जिला का रैंकिग गिर गया है। दिनांक 01.08.2017 तक समय सीमा से 5329 मामलें लंबित है जिसमें दाखिल खारिज+भू-स्वामित्व से संबंधित 3116, जाति+निवास+आय से संबंधित कुल 1203 एवं पेंशन में कुल 834 मामलें लंबित है। जो काफी खेदजनक है। समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान है। प्रखंड/अनुमंडल स्तर से लंबित मामलों को ससमय निष्पादन किये जाने का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा दिया गया। ससमय सीमा के बाहर लंबित आवेदनों को हर हाल में निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रखंड/अंचल कार्यालय का नाम	अंचल अधिकारी			प्रखंड विकास पदाधिकारी			कुल लंबित आवेदन
	ऑफलाईन (निवास+आय+जाति)	राजस्व एवं भूमि सुधार (दाखिल खारिज+भू-स्वामित्व)	आनलाईन (निवास+आय+जाति)	पेंशन	कन्या विवाह	पारिवारिक लाभ	
अररिया	470	2115	0	101	0	42	2728
कुर्साकांटा	49	0	0	16	4	2	71
जोकीहाट	299	270	0	105	0	0	674
प्लासी	373	222	0	23	0	0	638
श्रानीगंज	0	303	0	300	23	33	659
सिकटी	0	22	0	65	5	14	106
न्रपतगंज	0	148	0	159	13	9	329
फारबिसगंज	0	32	0	8	0	11	51
भरगामा	12	4	0	57	0	0	73
कुल लंबित	**1203**	**3116**	**0**	**834**	**45**	**131**	**5329**

3. **सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 मामले** :- प्रधान लिपिक, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से एम0जे0सी0- 04, सी0डब्लू0जे0सी0- 107 एल0पी0ए0- 08, सी0आर0डब्लू0जे0सी0- 09 कुल- 128 मामलें लंबित है, जो काफी खेदजनक है। सी0डब्लू0जे0सी0 से सबसे अधिक 19 मामलें जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया, 08 मामलें अनुमंडल

पदाधिकारी, अररिया के स्तर से लंबित है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रधान लिपिकों को माननीय उच्च न्यायालय के सभी वादों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित किये जाने का निदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 का निष्पादन ससमय नहीं होने के कारण अवमानना (एम0जे0सी0) वाद बनता है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल होती है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रशासन को कोपभाजन बनना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जायेगा।

4. <u>लोकायुक्त/मानवाधिकार</u> :- समीक्षा के क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय को जिला सामान्य प्रशाखा, अररिया के प्रधान लिपिक के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में लोकायुक्त/मानवाधिकार से संबंधित मामलें लंबित है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी संबंधित प्रधान लिपिक जिनके कार्यालय में लोकायुक्त/मानवाधिकार से संबंधित मामलें लंबित है उनका त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

5. <u>लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्नोत्तरी</u> :- जिला सामान्य प्रशाखा, अररिया के प्रधान लिपिक के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा/विधान परिषद्/विधान सभा मे पूछे गये प्रश्नों का उत्तर साम्रगी संबंधित कार्यालय/प्रशाखा के द्वारा समय सीमा के अन्दर नहीं भेजे जाने के कारण जिला प्रशासन को कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है। संबंधित कार्यालय/प्रशाखा के प्रधान लिपिकों को लोक सभा/राज्य सभा/विधान परिषद्/विधान सभा के प्रश्नों का निष्पादन त्वरित गति से करने का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा दिया गया।

6. <u>जन शिकायत</u> :- जन शिकायत प्रशाखा के प्रधान लिपिक के द्वारा बताया गया कि कुल 1721 मामले लंबित हैं। कुल लबंति मामलें में से 228 मामलें अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया, 157 मामलें अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, 136 मामलें पुलिस अधीक्षक, अररिया, 124 मामलें उप विकास आयुक्त, अररिया एवं 87 मामलें अपर समाहर्त्ता, अररिया के कार्यालय में लंबित है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय, सी0पी0 ग्राम्स (भारत सरकार), आयुक्त का जनता दरबार से प्राप्त जन शिकायतों को विशेष अभियान चला कर निष्पादित किये जाने का निदेश सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को दिया गया साथ ही जिला जनता दरबार से प्राप्त जनशिकायत मामलों का निष्पादन त्वरित गति से निष्पादन करने का भी निदेश दिया गया।

7. <u>लोक शिकायत निवारण</u> :- समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में लंबित वादों के निष्पादन में संबंधित कार्यालय द्वारा कोई अभिरूची नहीं लिया जा रहा है जिससे ससमय वादों का निष्पादन नहीं हो पाता है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा निदेश दिया गया कि जिन कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण से संबंधित वाद लंबित है उनका निष्पादन विशेष ध्यान देकर त्वरित

गति से किया जाय। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जायेगा।

8. **सूचना का अधिकार/राज्य सूचना आयोग** :- जिला सामान्य प्रशाखा, अररिया के प्रधान लिपिक के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में सूचना के अधिकार के तहत् ससमय आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण प्रथम/द्वितीय अपीलीय में वाद बनता है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी संबंधित प्रधान लिपिकों जिनके कार्यालय में सूचना का अधिकार/राज्य सूचना आयोग से संबंधित मामलें लंबित है उनका नियमानुसार त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया। ससमय सूचना नहीं उपलब्ध्स कराने के कारण इसमें आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में इन मामलों पर विशेष ध्यान देकर मामलें का निष्पादन किये जाने का निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा दिया गया।

9. **नीलाम पत्रों से संबंधित मामलें** :- जिला नीलाम पत्र कार्यालय के प्रधान लिपिक के द्वारा बताया गया कि अररिया जिला में वर्तमान में कुल 6335 वाद लंबित है तथा 1,19,31,27,330.00 रूपये वसूली हेतु लंबित है। गत माह में मात्र 35 वादों का निष्पादन किया गया और 65,43,300.00 रूपये वसूली की गई है, जो की अत्यंत ही कम है। समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि निलाम पत्र पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदन भी जिला निलाम पत्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो खेद का विषय है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वादों का निष्पादन एवं राशि की वसूली करने हेतु माह में विशेष अभियान चलाया जाय एवं प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। जिससे नीलाम पत्र वादों का जल्द से जल्द निष्पादन हो सके।

10. **सेवांत लाभ/भविष्य निधि से संबंधित मामलें** :- प्रधान लिपिक, जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया द्वारा बताया गया कि विभिन्न कार्यालयों में सेवांत लाभ/भविष्य निधि/अन्य लाभ से सबंधंति मामलें का समय पर निष्पादन नहीं करने से संबंधित कर्मी/उनके आश्रितों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसी क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी संबंधित प्रधान लिपिकों को निदेश दिया गया कि जिन कार्यालयों में सेवांत लाभ/भविष्यि निधि/अन्य लाभ का निष्पादन उनके स्तर से होना है का अविलंब निष्पादन करेंगे तथा जिला स्तर से होने की स्थिति में वे शीघ्र जिला को भेजना सुनिश्चित करेंगे। ताकि संबंधित कर्मी/उनके आश्रितों को परेशानी न हो।

11. **अंकेक्षण** :- प्रधान लिपिक, जिला पंचायत राज कार्यालय, अररयि द्वारा बताया गया कि पंचायत कार्यालय के द्वारा भेजे गये अंकेक्षण संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्रखण्ड कार्यालयों के द्वारा अब तक पंचायत कार्यालय को नहीं भेजा गया है। इसी क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि वे विशेष ध्यान देकर अंकेक्षण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करावें।

12. **रोकड़ बही :-** समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश के बावजूद अधिकांश प्रधान लिपिकों द्वारा रोकड़ पंजी का मदवार अतंशेष एवं सामान्य रोकड़ पंजी के अंतिम पन्नें की छायाप्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा सभी प्रधान लिपिकों को अगले बैठक में रोकड़ पंजी (अद्यतन) की फोटो कॉपी नहीं लाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सभी प्रधान लिपिक को कार्यालय का रोकड़ पंजी अद्यतन रखने का निदेश दिया गया।

विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त रोकड़ पंजी का अन्तशेष :-

क्र0	कार्यालय का नाम	विभाग को वापस	सूद की राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1.	प्रखंड कार्यालय, सिकटी	–	–	1,80,87,966.11	02.08.2017 तक
2.	प्रखंड कार्यालय, अररिया	–	–	3,34,69,348.41	02.08.2017 तक
3.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, अररिया	–	–	11,68,24,860.00	02.08.2017 तक
4.	अंचल कार्यालय, फारबिसगंज	–	–	1,76,80,807.00	02.08.2017 तक
5.	प्रखंड कार्यालय, रानीगंज	–	–	4,36,12,005.00	02.08.2017 तक
6.	प्रखंड कार्यालय, फारबिसगंज	–	–	4,15,58,970.22	02.08.2017 तक
7.	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया	–	–	1,01,913.32	02.08.2017 तक
8.	बाल विकास परियोजना कार्यालय, रानीगंज	–	–	3,63,79,288.90	02.08.2017 तक
9.	अंचल कार्यालय, जोकीहाट	–	–	4,90,01,312.11	02.08.2017 तक
10.	अनुमंडल कार्यालय, अररिया	–	–	1,25,54,738.22	02.08.2017 तक
11.	प्रखंड कार्यालय, जोकीहाट	–	–	7,08,63,845.00	02.08.2017 तक

आगामी बैठक में रोकड़ पंजी की छायाप्रति के साथ निम्न प्रपत्र में भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की निदेश जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा दिया गया।

रोकड़ पंजी संधारण की स्थिति

कार्यालय का नाम :-

क्र0सं0	सहायक रोकड़ पंजी मद	अवशेष राशि	पासबुक संख्या	पासबुक में अवशेष राशि	पासबुक एवं रोकड़ पंजी के अवशेष में अंतर का कारण	मंतव्य
1	2	3	4	5	6	7

13. <u>आपदा</u> :- प्रधान लिपिक, जिला आपदा प्रशाखा, अररिया के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में बारिस का मौसम चल रहा है, जिससे बाढ़ की संभावना बनी हुई है। इस क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा सभी अंचल के प्रधान लिपिक को निदेश दिया गया कि वे नाव का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन करा लें तथा बाढ़ से संबंधित अन्य सभी तैयारियाँ कर लेगें। ताकि बाढ़ के समय कोई समस्या उत्पन्न न हो।

14. <u>अन्यान्य</u> :- प्रधान लिपिक, जिला आपूर्त्ति प्रशाखा, अररिया के द्वारा बताया गया कि वर्ष, 2006-07 में उपभोक्ता जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार मद में मो0 11000.00 (ग्यारह हजार) रूपये सभी प्रखंड को दिया गया था। रानीगंज/जोकीहाट/सिकटी से उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं भेजा गया है, जो काफी खेद का विषय है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजने के कारण विभाग से बार-बार स्मारित किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता महोदय द्वारा संबंधित प्रखंड कार्यालय प्रधान लिपिक को अविलंब उपयोगिता प्रमाण-पत्र अथवा राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में चेक के माध्यम से राशि आपूर्त्ति प्रशाखा, अररिया को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 623/स्था0, अररिया, दिनांक 31/07/2017

प्रतिलिपि : सभी प्रधान लिपिक/नाजिर, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अररिया जिला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/फारबिसगंज/ अनुमण्डल पदाधिकारी अररिया/फारबिसगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/मुख्यालय स्थित सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया/अपर समाहर्त्ता, अररिया/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, अररिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

28/07/17

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता,
अररिया